We propose to establish 2, 500 schools. The remaining schools will be opened very shortly.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: What is the coordination between the Ministry of Welfare and the Ministry of Human Resource Development? There has to be a collective approach towards the question of child labour which has been discussed so many times in this House.

SHRI M. ARUNACHALAM: We have a District Child Labour society registered under the Societies Act. The District Collector is the Chairman of this Society. He is coordinating with all the departments at the district level. We have conducted four meetings at the national level from 1994 onwards.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: I am asking about States.

SHRI M. ARUNACHALAM: We do not have any system at the State level. It is at the district level.

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, I learn that a Committee under Dr. Subramanian Swamy has done a comprehensive report on the state of child labour in our country. Will the Government care to make that report public or place it on the Table of the House?

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, the Department of Labour has not yet received that report. So I am not in a position to say anything in this regard.

श्री नरेश यादव: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अन्य खतरनाक उद्योगों की तरह देश में चर्म उद्योग में कितने बाल-श्रमिक काम करते हैं? क्या उन बाल-श्रमिकों के कल्याण के लिए आपने कोई कदम उठाया है?

SHRI M. ARUNACHALAM: I do not have a break-up of the figures of child labour working in various industries. We have classified seven industries as hazardous industries. Regarding processing industries, 18 industries have been classified as hazardous industries. I do not have the figures of children working in the leather industry.

श्री नरेश यादव: माननीय मंत्री जी, क्या आप इसका आंकड़ा देंगे?

SHRI M. ARUNACHALAM: I have given the figures of the total number of children working in hazardous industries.

*423. *[The Questioners (Shrimati Malti Sharma and Shri Raj Nath Singh) were absent. For answer vide col.....infra.]*

*424. *[The Questioner (Shri Bhupinder Singh Mann) was absent. For answer vide col.....infra.]*

*425. *[The Questioners (Shri Satish Agarwal and Shri Bangaru Laxman) were absent. For answer vide col.....infra.]*

*426. *[The Questioners (Shri Bangaru Laxman) was absent. For answer vide col.....infra.]*

Proposal to Decanalise Export of Sugar

*427. SHRI RAM NATH KOVIND:
DR. RANBIR SINGH:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government propose to decanalise export of sugar;

(b) if so, the details thereof with background;

(c) whether such moves of Government have been opposed widely;

(d) whether Government propose to drop such moves of decanalisation of sugar exports in view of such opposition;

(e) if so, the details thereof; and

(f) if not, the reasons therefor?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (च) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जा रहा है।

†The Question was actually asked on the floor of the House by Dr. Ranbir Singh.

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) सरकार का यह मत है कि चीनी का विसंरणीकरण करने से चीनी बनाने वाली यूनिटों को अच्छी किस्म की चीनी का उत्पादन करने और अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार में अपना स्थान बनाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा।

(ग) से (च) उद्योग के कुछ वर्ग विसरणीकरण के विचार के विरुद्ध थे क्योंकि अब तक चीनी का निर्यात आई०एस०जी०आई०ई०आई०सी० नामक एकल एजेन्सी द्वारा किया जा रहा था। तथापि, सरकार ने निर्यात को मुक्त करने का निर्णय किया है।

डा० रणवीर सिंह: श्रीमान्, गवर्नमेंट का एटीट्यूड गन्ने की पैदावार की तरफ और किसान की तरफ बड़ा इरेटिक है और इसी वजह से गन्ना हर साल एक यूनिफार्म पैटर्न पर नहीं उगाया जाता। किसी साल गन्ना ज्यादा हो जाता है और किसान की और गन्ने की दुर्दशा हो जाती है जैसा इस साल हुआ और किसानों को गन्ना जलाना पड़ा। इससे परेशान होकर किसान गन्ने की फसल कम उगाता है और एक आर्टिफिसल शार्टेज कंट्री में दिखी जाती है जिसकी बुनियाद पर शुगर इंपोर्ट करने का ड्रामा भी होता है और उसमें स्केम भी होता है, हेराफेरी भी होती है जैसा अभी पिछले साल शोर मचा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि शुगर की प्रोडक्शन कितनी है, कंट्री में शुगर की कितनी खपत है एट एन ऐवरेज और कितना शुगर हमारे पास सर्प्लस होगा जिसको एक्सपोर्ट के लिए हम डि-केनेलाइज कर रहे हैं? दूसरा पार्ट है—कौन-कौन से कंट्री इंटरस्टेड हैं हिन्दुस्तान से शुगर इंपोर्ट करने के लिए?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था उसके बाद माननीय सदस्य ने कुछ जानना चाहा है। अभी इस वर्ष 1995-96 में जो अभी तक चीनी उत्पादन है वह लगभग 163 लाख टन है जो रिकार्ड उत्पादन है, पिछले साल से भी ज्यादा है। पिछले साल 146.43 लाख टन उत्पादन हुआ था। इस बार अभी तक 163 लाख टन उत्पादन हुआ है। तो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि इसमें खपत कितना होता है। जो प्रति वर्ष का अनुमान है उसके हिसाब से खपत 130 लाख टन का है इंक्लूडिंग पी०डी०एस०। इस साल लगभग 33 लाख टन चीनी सर्प्लस हमारे पास है जो एक महीना—सितम्बर तक अभी चलेगी। और भी कुछ उत्पादन होने की संभावना है। तो यह जो सरप्लस चीनी है 33 लाख टन, अभी इसमें से हमने 10 लाख टन चीनी का निर्यात किया है।

डा० रणबीर सिंह: कौन-कौन से देश यहां से चीनी मंगाने की डिमांड कर रहे हैं, यह भी मैंने पूछा था, मंत्री महोदय ने इसका जवाब नहीं दिया।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आप मूल प्रश्न से हटकर सवाल कर रहे हैं।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: This is unfair. It is for the Chair to decide whether it is relevant or not.

डा० रणबीर सिंह: मैंने पूछा था कि आप कौन-कौन से देशों को चीनी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, अभी पाकिस्तान से हमारे पास डिमांड आई है। अभी जो इंटरनेशनल भाव है चीनी का, उसको देखते हुए कई देशों से हमारे पास डिमांड आती है। अभी हम केवल 10 लाख टन चीनी का निर्यात कर रहे हैं लेकिन हमारे पास 55 लाख टन सरप्लस है और हम भविष्य में और निर्यात करेंगे। आपने पूछा है कि किन-किन देशों से मांग आई है। इसके लिए आप अलग से नोटिस दीजिए, मैं जवाब दूंगा।

डा० रणबीर सिंह: यह जो पालिसी है, मैं समझता हूं कि यह शूगर मिल्स के इंट्रस्ट में भी है और किसानों के इंट्रस्ट में भी है कि इसको डि-कैनेलाईज़ करके ज्यादा एजेंसीज को दिया जाए। मैं जानना चाहूंगा कि यह पालिसी कब से लागू होने वाली है? कोई टाईमबाऊंड प्रोग्राम है क्या? आप इसको कब से एलाऊ कर रहे हैं? कब से यह काम शुरू हो जाएगा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सरकार ने यह फैसला अभी 3 दिन पहले किया है कि डि-कैनेलाइजेशन का। इस संदर्भ में एक तकनीकी परेशानी यह है कि जो हमारा शूगर एक्सपोर्ट ऐक्ट है 1958 का, उसमें हमको संशोधन करना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी सत्र में यह संशोधन हम ले आएं जिससे कि पूरे देश में चीनी का डि-कैनेलाइजेशन हो सके और चीनी की किस्म सुधारी जा सके और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत अपना स्थान बना सके। सरकार इस पालिसी में विश्वास रखती है कि सबको निर्यात करने का मौका मिले और इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब केवल जो यह 1958 का चीनी निर्यात ऐक्ट है, इसमें संशोधन करना बाकी है।

SHRI K.R. JAYADEVAPPA: Sir, the stock of sugar in some sugar factories is more than the required capacity. For example, in my Taluk in one sugar factory with an installed crushing capacity of 1,250 TCD and having a sugar storing capacity of 15,0000 bags, the present stock of sugar is 18,2000 bags, which exceeds the limit. A huge stock of sugar would force the company either to delay the crushing process, in turn, putting the farmers to a great hardship, or to go in for an outside godown at a huge rent. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is thinking of releasing free sale of sugar.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, जहां तक फ्री सेल का सवाल है, हम इस बारे में यूनीफार्म नीति अपनाना चाहते हैं। चीनी मिलों की जो समस्या है या केन ऐरियर्स का जो सवाल है, सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और 950 करोड़ रुपए के ऐरियर्स में से आधे से अधिक का भुगतान उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में कराया है। अभी पिछले दिनों हमने सदन में जवाब दिया था कि आर०बी०आई० ने गाईडलाइंस इशू की है कि देश भर में जो भी केन-ऐरियर्स है, उसका शीघ्र भुगतान कराया जाए। इस दिशा में सरकार सकारात्मक पहल कर रही है। इन्होंने सरप्लस चीनी का सवाल उठाया है तो इस संबंध में मैंने पहले ही बताया है कि यूनीफार्म नीति पर हम विचार कर रहे हैं और इसी सप्ताह हम इस पर फैसला करने वाले हैं।

DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL: Sir, we are often changing policies as far as sugar is concerned. This change in the decanalisation policy may adversely affect the cooperative sugar factories. previously, the cooperative sugar factories had a federation and this federation was given permission to export sugar. Now if we are following the policy of liberalisation as far as export of sugar is concerned, there is a policy of total control as regards sale of sugar by factories, say, there is levy sugar; there is sugar in the open market and they are not allowed to sell any amount of sugar as they like; there is a restriction for sale of sugar in each and every month. A quota is allotted. Therefore, even the Government will not know how much sugar is going out of this country and this may cause some real problem. Therefore, Sir, I feel that the Minister should consider a consistent policy evaluation as far as sugar policy is concerned because it is a complex policy prices, are very much different and they may adversely affect the sugar cooperatives. Now, Sir, the number is very great. In Maharashtra, there are 106 sugar factories and they are united. They pool together and then they export the sugar. I would like to know whether the Government has firmly taken a decision for decanalising sugar.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति महोदय, कोआपरेटिव मिल का जहां तक सवाल है, खासकर निर्यात के संदर्भ में तो मूल सवाल हमारे सामने है, इसमें स्पष्ट दिया है। अभी तक चीनी का निर्यात इंडिक (ISGIEIC) नामक एजेंसी है, जिसके जरिए एक केनलाइज़ सिस्टम से निर्यात होता था। हम लोगों ने इस कैनलाइज़ सिस्टम को तोड़कर, अभी सरकार ने फैसला लिया है, डीकैनलाइज़ किया जा रहा है। तो इससे कोआपरेटिव या जो भी मिलर्स हैं, उन्हें फायदा होगा, एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिलेगी। इसमें कोआपरेटिव मिल तो अलग नहीं है। हम मुक्त कर रहे हैं। निर्यात पालिसी को मुक्त करने से कोआपरेटिव मिल को भी फायदा होगा, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

श्री जनार्दन यादव: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बार देश में 33 लाख टन चीनी सरप्लस हो गयी है। पिछली बार भी किसानों से पूरा गन्ना मिल ने नहीं लिया, इसलिए उसे जलाना पड़ा इस बार क्या देश के किसानों को आपने बताया है कि इतनी चीनी की जरूरत है, जिसके लिए इतनी जमीन में गन्ना लगाने की आवश्यकता है? इस बार हिन्दुस्तान के किसानों को क्या सरकार ने ऐसी सूचना भेजी है कि पिछली बार आपने जो गन्ना पैदा किया था, वह मिल ने नहीं लिया क्योंकि चीनी की आवश्यकता नहीं थी। इस बार चीनी सरप्लस में है तो इस देश में कितना गन्ना उपजाया जाए जिससे किसान को गन्ना जलाना नहीं पड़े और वह उस जमीन पर कोई दूसरी फसल बो सके? इस प्रकार की सूचना किसानों तक पहुंचाने के लिए आपने क्या कोई रास्ता अपनाया है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: किसानों का जहां तक सवाल है, हर वर्ष जो हमारा गन्ना क्रश होता है, जो कैपैसिटी है, वह 126 लाख टन गन्ना क्रश होता है। यह फिक्स है। इस बार ज्यादा क्रश हुआ। वह तो मिलों पर गन्ने का जब बकाया बाकी था तो कुछ मिलों को इजाजत दे दी गयी कि विलम्ब से किसानों से गन्ने को लेकर आप मिल चलाइए। यह तो किसानों के हित में माननीय सदस्य बात नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप एक अलग सवाल पूछिए कि कितना गन्ना लगाना चाहिए क्योंकि सभी राज्यों में अलग स्थिति है, इसलिए आप अलग सवाल पूछिए।

MR. CHAIRMAN: Question No. 428.

*428. *[The Questioner (Shri Govidrao Adik) was absent. For answer vide Col.....infra]*

MR. CHAIRMAN: Question No. 429.

Protection of Population Migrated to Urban Centres for Employment

*429. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the population of the country is growing and a number of people are leaving their traditional abode in search of livelihood in the cities;

(b) whether Government are also aware that these people have to depend on the Whims and fancy of their daily employers to get work for the day and the manpower in the cities has become a seller's market as the availability of labour to work ratio has been constantly shooting up in the metropolitan cities;

(c) whether there is any law to take care of the plight of these people;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reaction of Government in this regard?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

According to 1991 Census, population of India has grown to 843.9 million in 1991 as against 683.3 million in 1981. The Census figures also reveal that workers from economically backward areas migrate to economically advanced areas for seeking employment, for better employment prospects and higher wages.

Although migrant workers are generally vulnerable to exploitation and face certain difficulties according to the report of the National Commission on Rural Labour (NCRL) (1987—91), their incomes are higher than what they might have been without migration. Percentage increase in the number of workers in the urban areas during 1981-91 was 38.16 as against 26.80 in all areas.

The Government have enacted a number of labour laws for protection of workers like the Minimum Wages Act, 1948, the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act, 1979. In addition, the Government are implementing several poverty alleviation and rural employment programmes like the Integrated Rural Development Programme (IRDP), Jawahar Rojgar Yojna (JRY), Self Employment of Educated Unemployed Youth (SEEUY), Self Employment Programme for Urban Poor (SEPUP), Nehru Rojgar Yojna (NRY) and Prime Minister's Rojgar Yojna (PMRY) etc.

SHRI ANANTA SETHI: Sir, the hon. Minister, in his reply, has stated that the percentage increase in the number of workers in the urban areas has gone up from 26.8% to 38.16% during the period 1981—1991. So, I would like to know whether the Government have any exact record of migrants from rural areas to urban areas who are living in the slum areas. What is the average per capita income of the rural migrants to the urban areas and whether the Government have made any survey about it? If so, I would like to know the details of the survey.

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, according to the 1981 Census, there were